वानिकी समाचार

कहते हैं सब वेद पुराण।
पर्यावरण का करो सम्मान ।।

वन विभाग राजस्थान का मासिक पत्र

वर्ष : 26 अंक : 10 अक्टूबर–2009

राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण की रणनीति

❑ यू.एम. सहाय

पृथ्वी पर समस्त जीवधारी यथा, पौधों की समस्त प्रजातियाँ, जीव–जन्तु, सूक्ष्म जीवाणु और पारिस्थितिकी तंत्र आदि मिलकर ही जैव–विविधता का समृद्ध खजाना बनाते हैं। इसे तीन विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि

1. **उत्पति की विविधता :** जिसका तात्पर्य प्रजातियों में विभिन्न जीन से है।
2. **प्रजातिगत विविधता :** जिसका तात्पर्य क्षेत्र के जीवधारियों में विभिन्नता से है।
3. **पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता :** जिसका तात्पर्य अधिवास और जैविक समुदाय से है।

बड़ी देर से हमने यह महसूस किया है कि हमारा संसार सीमित है और इसमें मानव समुदाय के लिए उपलब्ध जैविक संसाधन भी सीमित हैं। जिनका प्रबंध, उपयोग अथवा प्रतिस्थापन किया जा सकता है परन्तु जिस तरह से इन संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है तदनुसार जैव विविधता में बढ़ोतरी अथवा घटाव हो सकता है। प्रभावी प्रबंधन प्रणाली से जैव विविधता का न केवल संरक्षण किया जा सकता है बल्कि उपयोग के बावजूद भी उनका विकास होता रहता है। इससे सतत् विकास का आधार बनता है। समस्त जीवों और उनके आवासों का वन्य परिस्थितियों में संरक्षण द्वारा ही जैव विविधता और जीन पूला का सर्वोत्तम तरीके से संरक्षण किया जा सकता है।

वन्य संपदा का संरक्षण, न केवल कुछ जीवों एवं पक्षियों की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना है बल्कि वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं की संपूर्ण श्रृंखला को संरक्षित करने का सर्वोत्तम माध्यम भी है। साथ ही इससे प्राकृतिक जैव विविधता तथा जीन संसाधन एवं विकास प्रक्रिया का संरक्षण होता है। अतः इसको समग्र राष्ट्रीय भू–उपयोग रणनीति में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्थिक सृदृढ़ता के लिए भारत के वन्य क्षेत्र एक विपुल स्त्रोत है क्योंकि जीन पूल भविष्य के निर्णायक आर्थिक संसाधन है।

जैव विविधता संरक्षण क्यों?

जैव विविधता संरक्षण के मुख्य उद्देश्य और फायदे निम्न हैं–

- सभी प्रजातियों को जीने का हक है।
- जीवधारियों की प्रत्येक प्रजाति विशिष्ट उत्पाद देती है जो कि अन्य कोई प्रजातियाँ नहीं देती हैं।
- पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में प्रत्येक प्रजाति की एक विशिष्ठ भूमिका होती है।
- विश्व में पर्यावरणीय प्रक्रियाएं सभी जीवधारियों को सहयोग करती है। यह पृथ्वी पर जीने योग्य आधार का सतत् उपयोग सुनिश्चित करती है ।
- यह वैज्ञानिक समुदाय को संभावित उपयोग की विस्तृत जानकारी देती है।
- यह संरक्षित वन्य प्राणियों एवं पाद्पों का खजाना है जो भविष्य में आवश्यकता होने पर मानव जाति के भले के लिए दोहन किये जा सकते हैं।
- मानव अस्तित्व को बनाये रखने हेतु जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है।

सम्पादकीय...

जैव विविधता संरक्षण

वर्तमान युग में बढ़ते हुए भौतिकवाद तथा उपभोगवाद ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर न केवल अत्यधिक दबाव बनाया है बल्कि उनका संरक्षण करना भी बहुत चुनौती पूर्ण बन गया है। बात भले ही पानी की हो, जगल की हो, जीव-जन्तुओं के प्रजातियों की हो अथवा कृषि पद्धतियों की हो..... सब इन आघातों से बुरी तरह प्रभावित हैं।

प्रकृति ने मनुष्य के अनुकूलतम विकास एवं जीविकोपार्जन के लिए जंगल तथा उसमें जैव विविधता उत्पन्न की है। जैव विविधता के अनुरक्षण से प्राकृतिक संपदा का भलीभांति संरक्षण होता है जिससे वे सभी लाभ मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति हमें देना चाहती है। लेकिन इस संपदा के विनाश, विवेकहीन शोषण तथा कुप्रबंधन से हम वर्तमान समय में संकट तो झेल ही रहे हैं, भावी पीढ़ी के लिए भी समस्याओं का अंबार लगा रहे हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के सहारे हम भले कितनी ही उन्नति कर लें, अपने आप पर गर्व करें, लेकिन प्रकृति के प्रतिशोध से बच नहीं सकते हैं? प्रकृति का विनाश मानव के अपने भविष्य का विनाश है।

क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करके हम अपने आधुनिक विकास को आधार दे सकते हैं परन्तु उसका विनाश करके हम कोई विकास नहीं कर सकते हैं। अतः सोचना होगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन-वन, वनस्पतियां, जीव-जन्तु, जलाशय, खेत-खलिहान, पशु संपदा तथा वन्य अधिवास कैसे बचें? कैसे उनका उपयोग सामाजिक-आर्थिक हित में हो ?

इसलिए आज हमारे शासनकर्ताओं, नीति निर्माताओं तथा निर्णयकर्ताओं को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दूरगामी रणनीति बनानी होगी जो न केवल विकास की प्रक्रिया को सतत् आगे बढ़ाती रहे बल्कि पर्यावरण अनुकूल जीवन निर्वाह के अवसर भी देती रह सके।

चिंता का कारण :

प्राकृतिक वरण के सिद्धान्तानुसार प्रकृति में केवल सर्वाधिक उपयुक्त प्रजातियाँ ही जीवित रहती है, शेष समाप्त हो जाती है। अतः लुप्त हो जाना जीवधारियों की प्रजातियों का भाग्य है। यह नई प्रजातियों के उद्भव की प्रक्रिया का ही एक भाग है, पर मानवीय हस्तक्षेप से इस प्रक्रिया में तीव्रता आई है जो कि हम सबके लिए चिंता का विषय है।

उपयोगिता :

सरकार एवं नीति-निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण की नीति में, उन आर्थिक पहलुओं को प्रदर्शित किया जाना चाहिये, जिनका जैव संसाधनों द्वारा राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। जैव संसाधनों की उपयोगिता का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है।

1. प्रत्यक्ष मूल्य : जलावण, चारा, जीवों का मांस आदि का बाजार मूल्य जिसका सीधा उपयोग होता है, जबकि लकड़ी, मच्छी, शिकार, औषधीय पादप आदि का व्यापारिक मूल्य जिनका बाजार में विपणन होता है।

2. अप्रत्यक्ष मूल्य : पारिस्थितिकी तंत्रों के क्रियाकलापों यथा, जलवायु नियंत्रण, मृदा उत्पादकता में वृद्धि एवं सुधार, जलग्रहण क्षेत्र सुरक्षा तथा प्रकाश संश्लेषण आदि का मूल्य। इसी प्रकार प्रजातियों के अस्तित्व की सामाजिकता का बोध बना रहने का मूल्य।

जैव विविधता राजस्थान में

भारत विश्व के 12 वृहत जैव विविधता वाले देशों (ब्राजील, कोलम्बिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ज़ायर, मेडागास्कर, आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया एवं मलेशिया) में से एक है। इतनी विषम जलवायु परिस्थितियों के बावजूद, राजस्थान जैव विविधिता की दृष्टि से एक अत्यन्त समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान को अरावली पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा शुष्क एवं अर्द्धशुष्क भागों में विभक्त किया गया है। वर्तमान में राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन्यजीव अभयारण 2 संरक्षित क्षेत्र है जिसमें लगभग सभी पारिस्थितिकी, वनों इनमें निवास करने वाले जीव-जन्तुओं एवं पादपों का समावेश हो जाता है।

वन्य संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता समृद्ध वन खण्डों को औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। वन क्षेत्रों के बाहर गोचर, ओरण, बनी, खो आदि भी इस विविधता की अन्य निधियाँ है। यह जैव विविधता गरीब समुदाय के भोजन, पोषण, वस्त्र, ईंधन, ऊर्जा, ईमारती लकड़ी, आवास, शरणस्थल एवं औषधी जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रजातियाँ	भारत में	राज्य में
पादप	45000	2500
पक्षी	1200	450
स्तनधारी	350	67
सरीसृप	453	25
उभयचर	182	40

विश्व संरक्षण रणनीति में भी जीवन आधार पद्धति के संधारण, पारिस्थितिकी तंत्रों के सुचारू, संचालन, पादपों की कृषि जनित प्रजातियों एवं पालतू जानवरों के अनुरक्षण और इनका सतत् उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि इससे करोड़ों ग्रामीणों तथा प्रमुख उद्योगों को मदद मिलती है। विश्व नीति के अनुसार ही राष्ट्रीय एवं राज्य नीति में भी तालमेल होना चाहिये।

वर्ष 2002 में बनाई गई राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्य योजना (2002-06) का उद्देश्य भी जैव विविधता तथा प्राकृतिक अधिवासों एवं प्राकृतिक तंत्रों का संरक्षण करना है जिसके मुख्य कारक निम्न है।

- संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना एवं उनका प्रभावी प्रबंधन
- संरक्षित क्षेत्रों में संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा
- उजड़े –परिभ्रांषित आश्रयस्थलों का पुनर्वास
- वन्यजीव अपराधों/शिकार पर नियंत्रण
- वन्य प्राणी संरक्षण में जन सहभागिता
- पर्यटन तथा संरक्षण, शिक्षा एवं जागृति का प्रोत्साहन

इसी प्रकार राष्ट्रीय वन नीति–1988 में भी जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करते हुए राष्ट्र की प्राकृतिक धरोहर को बचाने हेतु शेष रहे प्राकृतिक वनों को भी सुरक्षित करने तथा वन्य संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार एवं सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है।

जैव विविधता का संरक्षण : पादपों एवं जीव जन्तुओं के प्राकृतिक अधिवास तथा बाहरी निवास क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। जिसे हम स्थलीय संरक्षण एवं बाह्य संरक्षण कहते हैं।

स्थलीय संरक्षण (In situ Conservation) का कार्य राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षित एवं सामुदायिक रिजर्व, आरक्षित एवं सुरक्षित वन क्षेत्रों, अनुसंधान हेतु चयनित वृक्ष कुंजों तथा संरक्षित वृक्षों में किया जा सकता है। बाह्य स्थलीय संरक्षण (Ex situ Conservation) का कार्य जन्तुआलयों, एक्वारियम, जैविक उद्यानों, सफारी पार्क, वानस्पतिक एवं बागवानी एवं सार्वजनिक उद्यानों, वृक्ष उद्यानों तथा जीवों एवं पादपों का पुनर्वास करके किया जा सकता है।

मुख्य समस्याऐं:

राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के सामने अनेक समस्याऐं हैं, यथा,

1. अधिवासों की क्षति

विगत् वर्षों में बढ़ती जनसंख्या तथा नगरीकरण के कारण जैव विविधता क्षेत्रों को बहुत क्षति पहुँची है एवं उन सामजिक मान्यताओं को भी आघात पहुँचा है जिनसे अभी तक यह संरक्षित थे। विकास परियोजनाओं यथा रेल, सड़क, राजमार्ग, बंध, आवासीय बस्तियों आदि ने भी अधिकांश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बीकानेर–जैसलमेर में बालूरेत में बढ़ती खेती ने चारागाहों को बहुत घटा दिया है।

2. अतिक्रमण

आबादी एवं कृषि विस्तार हेतु बढ़ती भूमि की मांग ने वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है और सरकारों द्वारा इन अतिक्रमणों के नियमितकरण ने समस्या को और विकराल बना दिया है। यदि इसे रोका नहीं गया तो वनों, अभयारण्यों तथा जैव विविधता क्षेत्रों का कुशल प्रबंधन करना अत्यन्त कठिन हो जायेगा।

3. अवैध शिकार

अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय बाजारों में वन्य प्राणी उत्पादों की बढ़ती मांग ने जीवों के अवैध शिकार को बढ़ावा दिया है। शिकार के कारण हुबारा तथा गोडावण जैसे पक्षी थार मरूस्थल से लुप्त हो गये हैं तथा बाघ भी घट रहे हैं।

मरूस्थलीय चारागाहों में गोडावण आवास

4. खनन गतिविधियां

राजस्थान खनिज संपदा से सम्पन्न है और अधिकांश खनिज वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं। बढ़ती खनन गतिविधियों ने न केवल हरियाली, वृक्षों तथा वन संपदा का विनाश किया है बल्कि प्राकृतिक आवासों को भी क्षति पहुंचाई है। खनन अपशिष्टों का वन तथा सार्वजनिक भूमि पर फेंकने से पर्यावरण को भी गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है।

5. पशु चराई

राज्य में पशु एवं मानव संख्या अनुपात लगभग 1:1 है। लोग अपने पशुओं को वनों तथा संरक्षित क्षेत्रों में चराई हेतु ले जाते हैं। एक ओर वर्षा अभाव, जलवायु परिवर्तन तथा अकाल की स्थितियों के कारण घास, झाड़ियों तथा वनस्पतियों का उद्भव पूरा नहीं हो पाता है तो दूसरी ओर मृदा तथा वन्य जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनकर्मियों तथा ग्रामीणों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

7. वन अग्नि

राज्य के अधिकांश वन शुष्क पतझरी होने के कारण घास–पत्तियों में जल्दी आग लग जाती हैं ग्रामीणों, मवेशी पालकों तथा आदिवासियों के लघु वन उपज संग्रहण गतिविधियों के समय जलती बीड़ी/सिगरेट जंगल में छोड़ देने से ऐसी घटनायें होती रहती है।

8. अन्य प्रजातियों का प्रभाव

अन्य पादप प्रजातियों के अतिक्रमण से भी स्थानीय वनों की विविधता, प्रजातिगत समुदायों तथा पारिस्थितिकी तंत्रों के ढांचें में विघ्न उत्पन्न होता है। थार मरूस्थल में जूली फ्लोरा, लेन्टाना, चूहो, पक्षियों तथा नील गायों का वर्चस्व बढ़ गया है।

9. भूमि समतलीकरण एवं क्षारीयता

खेती तथा आवासीय उद्देश्यों से भूमि का समतलीकरण भी एक बड़ी समस्या है जिसमें स्थानीय प्रजातियों एवं ईको सिस्टम में बिगाड़ उत्पन्न होता है। सड़कों का निर्माण भी वन्य जीवों का कोरीडोर समाप्त कर देते हैं। भूमि की लवणताः क्षारीयता भी जैव विविधता को नुकसान पहुँचाती है।

10. परम्परागत ज्ञान में कमी

आधुनिक विकास की होड में तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बढ़ती प्रवृति ने वनों, वन्य जीवों तथा पर्यावरण संरक्षण के परम्परागत तरीकों, विश्वासों तथा लोक मान्यताओं से दूर कर दिया है। फलतः नव पीढ़ी धार्मिक संरक्षित वृक्षों–कुंजों का उतना सम्मान नहीं करती है।

राजस्थान की समृद्ध परम्परायें

1. विश्नाई समुदाय की भूमिका

आज भी विश्नोई संप्रदाय के लोग अपने गुरू जम्भोजी द्वारा 500 वर्ष पहले दी गई सीख की पालना करते हुए मरूस्थल में निवास करने के साथ हरे वृक्षों, वन्य जीव–जन्तुओं के संरक्षण के तौर–तरीकों एवं नियमों का पालन करते हुए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण कर रहे हैं।

खेजडली का बलिदान सर्वविदित है जिसममें 363 नर–नारियों ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। परिणामतः आज मरूस्थल में खेजड़ी, जाल, रोहिडा, आक, बेर, खैर आदि बहुतायत में पाये जाते हैं। काले हिरणों तथा चिंकारा का संरक्षण भी इस समुदाय द्वारा किया जा रहा है।

2. पवित्र वृक्षों की सुरक्षा

राज्य में कई वृक्षों में देवी–देवताओं का वास मानते हुए उनकी पूजा की जाती

प्रवासी कुरजा पक्षियों का समूह

है इससे इन वृक्षों की सुरक्षा होती है। पीपल, बरगद, आँवला, गूलर, बिल्व, मौलश्री आदि इनमें प्रमुख है।

3. देववन–ओरण

मंदिरों अथवा लोक देवताओं के स्थान के चारों ओर उगे वृक्षों, वन क्षेत्रों तथा वनस्पतियों का धार्मिक मान्यताओं के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन्हें देववन, ओरण, बनी आदि से संबोधित किया जाता है।

4. केसर छांटा

राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में केसर छांटा करके वन क्षेत्रों के संरक्षण की परम्परा है। केसर रंग का छिड़काव करने के पश्चात्, हरे वृक्षों, टहनियों आदि काटने पर स्वयंमेव ही सामाजिक प्रतिबंध लग जाता है।

वर्तमान परिदृश्य

जैव भूगोल, कृषि जलवायु तथा सामाजिक–आर्थिक आधारों पर राज्य को तीन मुख्य पारिस्थितिकी तंत्रों में विभक्त किया गया है। जो निम्न है।

1. मरू क्षेत्र– जिसमें राज्य का 2/3 भू–भाग मरूस्थलीय क्षेत्र आता है।
2. पर्वतीय क्षेत्र– जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर–पूर्वी से दक्षिणी–पश्चिम विस्तार आता है।
3. पूर्वी मैदानी क्षेत्र – जिसमें पूर्वी मैदान, विघ्न पठार तथा चम्बल के कछार शामिल हैं।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना

राज्य की समृद्ध परम्पराओं, वन्य संपदाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों के वर्तमान प्रबंधन तथा भावी संरक्षण हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का 18 जिलों में संचालन किया जा रहा है जिनमें पारिस्थितिकी सुधार के अनेक उपाय किये गये हैं।

1. स्थलीय संरक्षण (In-situ conservation) के अन्तर्गत नमी संरक्षण के उपायों में चेकडेम, कन्टूर ट्रेच, वी–डिच, तलाई तथा एनीकट निर्माण आदि प्रमुख है। इससे जल प्रबंध के साथ–साथ वन्य आवासों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

संरक्षित क्षेत्रों में सुधार प्रयासों के अन्तर्गत आवासों के प्राकृतिक पुनर्वास के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वन्य जीवों की अधिक संख्या का यहाँ पुनर्वास किया जा सके।

कुंभलगढ़ (उदयपुर) सवाई मानसिंह (रणथम्भौर), रामगढ़ विषधारी (बूंदी) तथा सीता माता (चित्तौड़गढ़) आदि का इन उपायों हेतु चयन किया गया है।

2. बाह्य स्थलीय संरक्षण (Ex-situ Conservation) प्रयासों के तहत नये जैविक उद्यानों का विकास उदयपुर तथा जयपुर में किया जा रहा है। जिसमें आधुनिक खुले पिजड़े, लुप्त प्रायः प्रजातियों के लिए बनाये जा रहे हैं ताकि वे प्राकृतिक वातावरण में प्रजनन कर सके और वंश वृद्धि कर सके।

इनमें पर्यटकों एवं विद्यार्थियों हेतु वन्य जीव शिक्षा हेतु सफारी पार्क भी बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

भावी रणनीति

वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जहाँ मानवीय हस्तक्षेप कम हो अथवा हटाया जावे, की धारणा दो कारणों से संसाधन को ताले में बंद करके रखना नहीं माना जाना चाहिए।

प्रथम, बहुत कम प्रतिशत में वन क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण संरक्षित किया जाना जरूरी है और दूसरा, केवल इस तरीके से ही वन्य गुण संपदा को संरक्षित किया जा सकता है। यदि अभी हम इनको सुरक्षित नहीं कर पाते हैं तो ये भावी आर्थिक संसाधन हमेशा के लिए समाप्त हो जायेंगे। अतः राज्य में जैव विविधता संरक्षण की निम्न उल्लेखित रणनीति अपनानी होगी।

1. राज्य में कम से कम 5 प्रतिशत भू–क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र हेतु आरक्षित किया जाना चाहिए, जिनमें 3 प्रतिशत वन भूमि तथा 2 प्रतिशत वाह्य वन्य अधिवास शामिल हो।
2. राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के, वन क्षेत्र को 9 प्रतिशत तथा बाहरी वन्य क्षेत्र को 20 प्रतिशत मानते हुए हम संरक्षित क्षेत्रों को वन क्षेत्र का 33 प्रतिशत तथा गैर वन अधिवासों का 10 प्रतिशत का लक्ष्य बना सकते हैं।
3. इस समस्त वन्य संपदाओं को ताला बंद नहीं किया जाना चाहिये। इनमें राष्ट्रीय उद्यानों के कोर क्षेत्र (मानवीय हस्तक्षेप विहीन) में लगभग 16.5 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र तथा 5 प्रतिशत गैर वन क्षेत्र को काम में लिया जाना चाहिए। शेष संपदा, जहां संसाधनों का उपयोग, वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्यों के साथ स्वीकार्य हो, का अभयारण्य के रूप में प्रबंधन किया जाना चाहिये।
4. मरू क्षेत्र में बायोस्फेयर रिजर्व के सिद्धान्त अपनाये जाने चाहिये जिससे स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिना रूकावट के वन्य प्राणी संरक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा सके।
5. सुचारू विकास एवं जन सहभागिता हेतु ग्राम्य स्तर पर सूक्ष्म नियोजन किया जाना चाहिये।
6. तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट अधिवास आधारित अनुसंधान किया जाना चाहिये।
7. संचार–प्रसार, प्रशिक्षण हेतु अधिकाधिक स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता ली जानी चाहिए।
8. स्थानीय समुदाय की वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी सामाजिक–धार्मिक भावनाओं को प्रश्रय दिया जाना चाहिये
9. संरक्षण हेतु विकसित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण एवं सतत् मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
10. प्रोजेक्ट टाईगर की तर्ज पर ही संकटग्रस्त जीवों एवं पादपों हेतु परियोजनाऐं बनाई जानी चाहिए। जैसे कि • प्रोजेक्ट गोडावण • प्रोजेक्ट भेडिया, • प्रोजेक्ट सागवान • प्रोजेक्ट धौक

वर्तमान में हम मानव सभ्यता के इतिहास में एक चौराहे पर खड़े हैं। आगामी वर्षों में हमारे कदम इस तरह होने चाहिये जो हमारी विपुल जैव विविधता के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करे तथा जैविक संसाधनों का सतत् उपयोग जारी रख सके न कि जैविक संसाधनों के विवेकहीन दोहन से विनाश की राह पर चल पड़े।

नवाचार

रिंग पिट पौधारोपण करेंगे सड़कों की सुरक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जोधपुर जिले में सड़कों के किनारे रिंग पिट पद्धति से पौधारोपण कार्य वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में करवाये गये हैं। जिले की पंचायत समिति मण्डोर की तीन ग्राम पंचायतों–डांगियावास, बीसलपुर एवं खातियासनी में राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़क एवं ग्रामीण सड़कों के किनारे इस विधि को अपनाकर पौधारोपण करवाये गये हैं।

वृक्षारोपण स्थल पर सूचना पट्ट

इस पौधारोपण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय श्रमिकों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराना है। पौधारोपण से होने वाले पर्यावरणीय लाभ यथा आक्सीजन की उपलब्धता, राहगीरों को छाया एवं गर्मियों में आंधियों से अवरूद्ध होती सड़कों को यातायात के लिए सुगम बनाना है।

फैन्सिग एवं पौधारोपण कार्य, रिंग पिट 10–10 मी. की दूरी पर खुदवाकर, करवाया गया है। जिसमें नीम के 5 फुट ऊंचाई के पौधे लगाये गये एवं पशुओं और सर्दी पाले से बचाव हेतु पौधों की ऊंचाई तक बाड़िया/झौपा बनाया गया है। इससे पौधों की रक्षा सुनिश्चित हुई है।

पौधारोपण कार्य में स्थानीय जनता एवं छोगाराम चौधरी, सरपंच की सक्रिय भूमिका के कारण जन साधारण में पौधारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ी है एवं पौधों की सुरक्षा के प्रति सजगता में वृद्धि हुई है। उक्त समस्त कार्यों में कार्य प्रभारी श्री

रोपित नीम वृक्षों की सुरक्षा उपाय

भीकाराम शर्मा, वन रक्षक श्री रणवीर सिंह टाक, वनपाल तथा श्री बाबूलाल पंवार क्षेत्रीय वन अधिकारी आदि का सक्रिय एवं सतत् प्रयासों व परिश्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिणाम भी काफी उत्साहजनक सामने आया है।

नरेगा के अन्तर्गत कराये गये ये सभी पौधारोपण सफल है एवं जीवितता प्रतिशत लगभग शत–प्रतिशत है। पौधों की बढ़तवार आशातीत है।

इस प्रकार से किये गये पौधारोपण कार्यों का विवरण तालिका में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	गांव का नाम	नाम कार्य स्थल	पौधारोपण वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	भौतिक लक्ष्य रो. कि. मी.	किस्म पौधा
1.	डांगियावास	1. डांगियावास से घायलों की ढाणी	2008–09	400	4	नीम
		2. डांगियावास से बानरला	2008–09	800	8	नीम
		3. डांगियावास से बाईपास पीथावास	2008–09		6	नीम
2.	बीसलपुर	1. बीसलपुर से पालासनी	2008–09	900	9	नीम
		2. भाटो की ढाणी से रामोडी	2008–09	1000	10	नीम
		3. भाटो की ढाणी से पालासनी	2008–09	800	8	नीम
		4. घायलों की ढाणी से बिसलपुर	2008–09	800	8	नीम
		5. बीसलपुर से भाटों की ढाणी	2008–09	800	8	नीम
		6. बीसलपुर सी.हा.सै. स्कूल व आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण	2008–09	5000	10	छायादार पौध
		7. खातियासनी से अजमेर रोड	2009–10	400	4	नीम
3.	खातियासनी	1. खातियासनी से कुंकदा	2009–10	400	4	नीम
		2. आसरनाडा से खातियासनी	2009–10	800	8	नीम
		3. दांतियावाडा से बिसलपुर टांका	2009–10	400	4	नीम
		4. दांतियावाडा से खातियासनी	2009–10	800	8	नीम

पेड़ लगाओ और मानव जीवन बचाओ। इसे अपना कर्तव्य समझ कर निभाओ।।

''पौधारोपण कार्यक्रम सम्पन्न''

रा.उ.प्रा.वि. चामुण्डेरी मेडतियान में सरपंच एवं महिला कांग्रेस की जिला महामंत्री श्रीमती नलिनी कंवर के मुख्य आतिथ्य व संस्था प्रधान भलाराम सरेल की अध्यक्षता में पौधारोपण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

विद्यालय परिसर में सर्वप्रथम सरपंच नलिनी कंवर ने नीम का पोधा लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान भोलाराम सरला, कक्षा 8वीं की छात्राओं सुन्दर कुमारी, कंचन कुमारी व रविना कुमारी ने पौधारापेण किया।

मुख्य अतिथि नलिनी कंवर ने अपने उद्‌बोधन में बताया कि स्त्री का श्रृंगार आभूषणों से होता है वैसे ही धरती का श्रृंगार वृक्षों से होता है। इस धरती को श्रृंगारित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए जाने वाले जनोपयोगी कार्यक्रम ''हरित राजस्थान'' अभियान के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों, सतत् शिक्षा प्रेरकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों से अधिक से अधिक पौधे लगाकर छोटे बच्चों की तरह सार संभाल करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया।

हरणी की पहाड़ियों में पौधारोपण

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री रामलाल जाट ने हरित राजस्थान के शुभारंभ के अवसर पर ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति व वन विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा शहर के निकट हरणी महादेव की पहाड़ियों में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ नीम का पौधा लगाकर अभियान का श्री गणेश किया।

इस अवसर पर माण्डलगढ़ क्षेत्र के विधायक प्रदीप कुमार सिंह, नगर परिषद सभापति ओम प्रकाश नाराणीवाल, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष बाबूलाल जाजू, सुबाण पंचायत समिति के उप प्रधान दीपक व्यास, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड, सुवाणा के पूर्व प्रधान भंवर लाल गर्ग, अतिरिक्त जिला कलक्टर पुखराज सेन, न्यास सचिव उज्ज्वल राठौड़, नगर परिषद आयुक्त तथा जिला वन अधिकारी सहित अनेक गणमान्यजनों, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण किया।

आज का मनुष्य

आश्रय देने पर सिर पर चढ़ जाता है । उपदेश देने पर मुड़कर बैठता है।
आदर करने पर खुशामद समझता है । उपकार करने पर अस्वीकार करता है।
क्षमा करने पर दुर्बल समझता है । विश्वास करने पर हानि पहुँचाता है।
प्यार करने पर आघात पहुँचाता है । क्या यह सब उचित है?

परिधि

वो शून्य में ताक रही थी पल-पल
सोच रही थी, परेशान हो विह्वल
सामने सब कुछ धुँआ-धुँआ सा उथल-पुथल
घर भी बिखरा, बाहर है दलदल ही दलदल
निष्ठुर निष्प्राण मरीचिका है ये जीवन
हम घुटते हैं हर पल क्षण-क्षण।
तभी एक चिड़िया जाने कहाँ से आई
फुदक-फुदक कर चीं-चीं करती शोर मचाई
ओ नारी, तू सोचती मैं कहाँ से आई आकस्मात्
सुन, मैं जानती तेरे मन की बात
ओ बावरी, जीवन की लम्बी सड़क पर खड़ी तू
क्यों हतप्रभ, निरीह, निराधार है
जिसे तू धुँआ-धुँआ कह रही
वही तेरा चिराग़ है
निष्ठुर निष्प्राण मरीचिकाओं की जननी नहीं
ये जीवन वरदान है

तू ही बता मैं भी तो निज नीड़ में अंडे देती
उसे सेती चूजे निकालती
मेहनत कर व्योम में उड़ना सिखाती
फिर-फिर जाती, दाना लाती
चोंच में चोंच डाल खिलाती
स्वाधीन लोक में उड़ती जाती
प्रकृति की अनुपम शोभा दिखलाती
पर, अपनी परिधि पहचानती
वरना, गिद्ध का निशाना बन जाती
मेरी छोड़, पृथ्वी को देख
आठ भाइयों के संग रात-दिन घूमती ही जाती
सूर्य के आग में जल नहीं पाती
वन, समंदर, पर्वत, प्राणी
सबको साथ घुमाती
न डगमगाती, न लड़खड़ाती
न ही कहीं टकराती
क्योंकि उसकी सीमा क्या है, जानती
अपनी परिधि पहचानती
ओ मतवारी, प्रकृति ने कुछ नियम हैं बनाया
संयम से चलना हमें सिखाया
तू भी अपनी परिधि पहचान
मत हो परेशान, मत हो परेशान
मत हो परेशान।

● मालिका सहाय

राज्य भर में

वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया गया

राज्य भर में अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह (1–7 अक्टूबर) का वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया गया। सप्ताह के दौरान विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न है।

जयपुर में रामनिवास उद्यान स्थित जंतुआलय में स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि गांधीजी के अहिंसा के सिद्धान्तों पर चलकर हमें वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करनी होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ट्री) श्री यू.एम. सहाय ने की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान किये गये। सप्ताह के दौरान लगभग 2500 विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण भी कराया गया।

वन्यजीव सप्ताह में चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते छात्र

टैगोर पब्लिक स्कूल ने भी वन्य जीवों की रक्षा हेतु शार्ट प्ले का आयोजन कर लुप्त हो रही वन्य प्रजातियों की पीड़ा को दर्शाया।

अजमेर में राजकीय संग्रहालय में वन्य जीवों पर आधारित डाक टिकट तथा फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री रामलाल जाट ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लुप्त हो रही गोडावण प्रजाति को बचाने का विशेष प्रयास करेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉ. श्री गोपाल बाहेती, संग्रहालय अधीक्षक आजम खां तथा मंडल वन अधिकारी के.सी. मीणा भी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में वन्य जीवों पर डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया।

टोंक में वन्य जीव सप्ताह का समापन समारोह रा. उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामनारायण मीणा थे एवं अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक के.सी. वंदना ने की। समारोह में स्कूली छात्र–छात्राओं तथा वन्य प्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी जयसिंह को सम्मानित किया गया।

भीलवाड़ा में वन्य जीव सप्ताह के दौरान मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक श्री आर.एन. मेहरोत्रा ने हमीरगढ़ वन खण्ड का अवलोकन किया। उन्होंने इस 589 हैक्टर वन क्षेत्र को कंजरवेशन रिजर्व बनाये जाने के लिए उपयुक्त माना। मेहरोत्रा के साथ श्री बाबूलाल जाजू प्रदेश प्रभारी, पीपुल फॉर एनीमल्स भी थे।

भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 55वाँ वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्यान प्रशासन द्वारा सालिम अली नेचर **इन्टरप्रिटेशन सेन्टर** में वन्य जीवों पर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। सप्ताह भर स्कूली छात्रों के लिए प्रतियोगितायें भी आयोजित की गई।

सवाई माधोपुर में उप निदेशक (कोर) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान द्वारा सप्ताह के दौरान आदर्श बालिका विद्यालय, मानटाउन में कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस दौरान डूंगरी गांव में पर्यावरण लोक चेतना कार्यक्रम तथा गणेश मंदिर मार्ग में पॉलीथीन एकत्रित करने के कार्य किये गये।

कवरल जी नाके पर प्रकृति भ्रमण एवं श्रमदान का भी कार्यक्रम किया गया।

नागौर में वन विभाग द्वारा सप्ताह भर वन्य जीव संरक्षण हेतु जन चेतना रैली तथा स्कूलों में प्रदर्शनी तथा प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। उप वन संरक्षक के.आर. काला ने बताया कि जिले में कुर्जा पक्षियों के आवासों के ईर्द–गिर्द ग्रामीणों के लिए संरक्षण शिविर लगाये गये।

उदयपुर के गुलाब बाग स्थित जन्तुआलय में भी इस सप्ताह के दौरान वातर्एिं तथा स्कूली छात्र के भ्रमण शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

कल्पतरू पावर की तरफ से वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार

टोंक जिले के गांव खातोली (उनियारा) में स्थापित बायोमास आधारित बिजली घर कंपनी द्वारा टोंक जिले में वन्य प्राणियों की सुरक्षा में योगदान करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए कल्पतरू पॉवर वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार स्थापित किया गया है। पुरस्कार में पाँच हजार रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला पुरस्कार है।

पुरस्कार प्रदान करते विधायक मीणा

वर्ष, 2008 हेतु जिला पर्यावरण समिति, टोंक की अभिशंसा पर वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 को यह पुरस्कार सोप पुलिस थाने के कांस्टेबल श्री जयसिंह को प्रदान किया गया।

पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि विधायक श्री रामनारायण मीणा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक श्रीमती के.वी. बंदना ने की। इस अवसर पर मंडल वन अधिकारी श्री दीपचंद बैरवा, कम्पनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आनंद चौपड़ा, स्थानीय वरिष्ठ नागरिक, पर्यावरण प्रेमी तथा स्कूली छात्र-छात्राऐं भी उपस्थित थे।

विश्व ओजोन दिवस पर कार्यशाला का आयोजन

फोल्डर का विमोचन करते जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर में वन मण्डल सामाजिक वानिकी सवाई माधोपुर के आलनपुर स्थित वन चेतना केन्द्र पर जिला पर्यावरण समिति द्वारा विश्व ओजोन दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति सवाई माधोपुर श्री सिद्धार्थ महाजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विजय प्रकाश, वन प्रसार अधिकारी ने जिला पर्यावरण समिति सवाई माधोपुर द्वारा इस अवसर पर जारी फोल्डर का श्री महाजन से विमोचन कराया। महाजन ने ओजोन दिवस पर ओजोन परत संरक्षण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जन जागृति पैदा करने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

इस अवसर पर ओजोन परिसंरक्षण पर सामूहिक चर्चा एवं गोष्ठी की गई तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला व नारालेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पृथक-पृथक रूप से छात्र तथा छात्राओं को मंच पर पुरस्कार एवं ट्राफी वितरित किये गये।

अनुरोध :

वानिकी समाचार में प्रकाशनार्थ आलेख, छायाचित्र, विभागीय गतिविधियों की जानकारी, साझा वन प्रबन्ध की सफल कहानियां, कविताएं तथा अन्य सामग्री प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। यह सामग्री ई-मेल से भी भेजी जा सकती है।

इस पत्रिका के अंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

- सम्पादक

Book-Post

वन विभाग, राजस्थान के लिए उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर से मुद्रित। 2009/3000
संरक्षक : अभिजीत घोष; संपादक : यू.एम. सहाय; सहायक सम्पादक : सूरज जिद्दी
Website : www.rajforest.nic.in • E-mail : vanikisamachar@yahoo.com